

कार्यालय प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय अमोड़ी, चम्पावत

प्रेस नोट— समान नागरिक संहिता गोष्ठी दिनांक 06/02/2024

राजकीय महाविद्यालय में आज दिनांक 06–02–2024 को समान नागरिक संहिता बिल पर छात्र/छात्राओं/प्राध्यापकों/कार्मिकों के बीच एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। सभी को उत्तराखण्ड राज्य में समान नागरिक संहिता राज्य विधानसभा में पेश होने की जानकारी दी गयी। बिल/मसौदे की विभिन्न धाराओं, पारंपरिक रीति-रिवाजों से पैदा होने वाली विसंगतियों को दूर करने, बहुविवाह पर रोक, शादी के लिए कानूनी महिला की 18 व पुरुष की उम्र 21 साल अनिवार्य करने, लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन कराने, जैसे अनेक विन्दुओं पर चर्चा परिचर्चा की गयी। प्राचार्य डॉ अजिता दीक्षित ने कार्यक्रम की अध्यक्षत की। इस दौरान महाविद्यालय के प्राध्यापक, कार्मिक तथा छात्र/छात्राएं उपस्थित रहे।



समान नागरिक संहिता (UCC) पर परिचर्चा
राजकीय महाविद्यालय अमोड़ी



११/२
(प्रो० अजिता दीक्षित)
प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
अमोड़ी (चम्पावत)।
राजकीय महाविद्यालय
अमोड़ी (चम्पावत)

कार्यालय प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय अमोड़ी, चम्पावत

सूचना— समान नागरिक संहिता गोष्ठी दिनांक 05/02/2024

महाविद्यालय के समस्त छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि महाविद्यालय में दिनांक 06/02/2024 को समान नागरिक संहिता बिल पर एक गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी उक्त गोष्ठी में अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करें जिसमें आप सभी को समान नागरिक संहिता के महत्वपूर्ण विन्दुओं पर जानकारी दी जायेगी।

११८८
(प्रो० अजिता दीक्षित)
प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
अमोड़ी (चम्पावत)।
राजकीय महाविद्यालय
अमोड़ी (चम्पावत)
W